SEM-3, SE-301, By- Dr. Shyam Bihari Choudhary

अधिगम अक्षम या अपंग बालकों की शिक्षा
Educational Provision for the Learning disabled

Date- 28/10/2020

कौन कौन से बालक अधिगम की दृष्टि से अक्षम या अपंग है इसकी जानकारी होने के बाद अब प्रश्न उठता है कि इन बालकों की इन कमजोरियों तथा अक्षमताओं का क्या समाधान ढूँढा जाये तथा उनकी शिक्षा को किस तरह आगे नियोजित एवं आयोजित किया जाए ताकि इनकी शिक्षा पथ मे आगे बढ़ने और भली भाँति समायोजित रख सकने मे पूरी-पूरी सहायता की जा सके

(1) विशिष्ट विद्यालयों या कक्षाओं का प्रबंध Provision of Specialized Schools or Classes-

विशेष कक्षाओं या विद्यालयों मे इस तरह का वातावरण निर्मित किया जाता है कि अधिगम अक्षम बालकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा विशेष प्रकार की विधियों एवं तकनीकों का प्रयोग करके ऐसे विशेष रूप से शिक्षा संबंधी उपाय किये जाएँ जिनसे अधिगम अक्षमताओं से युक्त बालकों की शिक्षा और समायोजन का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे।

समाधान के रूप मे अलग विद्यालय की स्थापना या अलग कक्षाओं की व्यवस्था के बारे मे सोचते समय हम यह भूल जाते हैं कि क्या वे अपनी अधिगम अपंगता या अक्षमता को लेकर एक जैसे ही है? बस यहीं ही भूल हो सकती है। इस अपंगता व अक्षमता की दृष्टि से भी बालकों मे बहुत अधिक विभिन्नताएँ पाई जाती है। कोई भाषायी कौशलों मे अक्षम है तो कोई गणितीय योग्यताओं मे, किसी को किसी अधिगम क्रिया के संपादन मे कठिनाई आती है तो किसी को अन्य दूसरी मे एक दृष्टि से तो जिसमे जिस प्रकार की अधिगम न्यूनता या अक्षमता है उसकी शिक्षा की इस कमी और कठिनाई के ही सन्दर्भ मे अलग से शिक्षा प्रबंध होना चाहिए। अतः अलगाववाद पर आधारित विशेष विद्यालयों तथा कक्षाओं के प्रबंध की बात अधिगम अक्षमताओं से युक्त बालकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकती